



Neutral Citation No. -2026:AHC:17023

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

जनहित याचिका (पी.आई.एल.) संख्या - 3995 वर्ष 2025

बुद्धि सागर

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : बशिष्ठ नारायण पांडेय

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : सी.एस.सी., पंकज कुमार गुप्ता

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता, राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार, तथा ग्राम सभा की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार गुप्ता को सुना गया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. प्रस्तुत लोकहित याचिका निम्नलिखित राहत के लिए दाखिल की गई है :-

“(ए) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे राजस्व ग्राम- भीटा, तहसील- हरैया, जनपद- बस्ती स्थित, खसरा संख्या 93 क्षेत्रफल 0.0570 हेक्टेयर तथा खसरा संख्या 98एम क्षेत्रफल 0.0250 हेक्टेयर, जो राजस्व अभिलेखों में क्रमशः ‘रास्ता’ तथा ‘बंजर’ के रूप में दर्ज सार्वजनिक उपयोगिता भूमि हैं, पर प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा किए गए अवैध एवं अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने हेतु व्यापक जनहित में उपयुक्त कार्यवाही करें।

(बी) परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश अथवा निर्देश जारी करते हुए प्रतिवादी प्राधिकारी को निर्देशित किया जाए कि वह उक्त सार्वजनिक उपयोगिता भूमि को भविष्य में किसी भी प्रकार के अतिक्रमण से सुरक्षित करे तथा लोकहितार्थ उसके उपयोग को पुनर्स्थापित करे।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित भूखण्ड की प्रविष्टि को दृष्टिगत रखते हुए, प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वे विवादित भूखण्ड से अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु आवश्यक कदम उठाएं।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पंकज कुमार ने निर्देश के आधार पर प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी संख्या 5 के विरुद्ध तथा अन्य चार व्यक्तियों, जो विवादित भूखण्ड पर कब्जे में पाए गए हैं, के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पांच वाद पंजीकृत किए गए हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उक्त कार्यवाही में अगली तिथि 4.2.2026 नियत है। उन्होंने यह भी प्रस्तुत किया कि लंबित कार्यवाही के निस्तारण के पश्चात् प्राधिकारी अवैध अतिक्रमण हटाने हेतु उपयुक्त कदम उठाएंगे।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



6. मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया तथा अभिलेखों का अवलोकन किया।

7. इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि निजी प्रतिवादी तथा अन्य चार व्यक्तियों के विरुद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत पांच वाद पंजीकृत किए गए हैं। उक्त वादों का विवरण निम्नवत् है :-

1. वाद संख्या टी202617140101358
2. वाद संख्या टी202617140101360
3. वाद संख्या टी202617140101361
4. वाद संख्या टी202617140101364
5. वाद संख्या टी202617140101359

8. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, प्रस्तुत लोकहित याचिका का अंतिम निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 3- तहसीलदार/सहायक कलेक्टर, तहसील- हरैया, बस्ती, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 67 के अंतर्गत उपर्युक्त पांचों लंबित वादों का विधि के अनुसार, पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए, निर्णय करें।

(न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय)

जनवरी 22, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी.एस.*

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।